कोविड – 19 की पृष्ठभूमि में प्रधान मंत्री गरीब कल्याण पैकेज

Indian Banks' Association

हम आपकी और आपकी सुरक्षा की चिन्ता करते हैं !

प्रधान मंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत महिला जन धन योजना खाताधारकों के खाते में आगामी तीन माह तक रु.500/– की रकम प्रति माह जमा की जा रही है।

यह रकम लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे जमा की जा रही है, अतः यह रकम सुरक्षित है और लाभार्थी को तुरंत आहरण करना आवश्यक नहीं है। लाभार्थी अपनी सुविधा के अनुसार रकम अपने खाते से निकाल सकते हैं।

तथापि, यदि कोई लाभार्थी आगामी कुछ दिनों में तत्काल आधार पर रकम आहरित करना चाहते हैं, तो वे निम्नलिखित सारणी के अनुसार ऐसा कर सकते हैं, जो कि उनके बैंक खाता क्रमांक के अंतिम अंक पर आधारित है।

आहरण के दौरान सामाजिक दूरी (सोशल डिस्टेन्सिंग) बनाए रखने के लिए बैंक की शाखाओं और बैंक मित्र/ सीएसपी हेतु यह निर्धारण किया गया है।

- क) 0 और 1 - दिनांक 3 अप्रैल 2020
- ख) 2 और 3 - दिनांक 4 अप्रैल 2020
- ग) 4 और 5 - दिनांक 7 अप्रैल 2020
- घ) 6 और 7 - दिनांक 8 अप्रैल 2020
- ङ) 8 और 9 - दिनांक 9 अप्रैल 2020

संक्रमण का प्रसार रोकें, संदेश को प्रसारित कर

दिनांक 9 अप्रैल के पश्चात लाभार्थी अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी दिन बैंक से अपनी रकम निकाल सकते हैं।

साथ ही, लाभार्थियों से अनुरोध किया जाए कि बैंक की शाखाओं में भीड़ से बचने के लिए, आहरण हेतु समीप के एटीएम (रूपे कार्ड का प्रयोग करते हुए), बैंक मित्र/ सीएसपी तथा पीओएस पर रु.2000/– तक नकदी की सुविधाओं का लाभ उठाया जाए।

कृपया नोट करें कि वर्तमान में, भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार, किसी भी बैंक के एटीएम से रकम आहरण करने हेतु कोई प्रभार नहीं है।
कृपया सहयोग करें और प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करें।

सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें।

2 अप्रैल, 2020

आपको बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए हमारी सहायता करें।